

Form no III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा  
किशनलाल पुत्र धीसालाल बनाम तहसीलदार निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा किरम मुकदमा  
प्रार्थना पत्र मु.न. 24 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं परोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 314 की आराजी नम्बर 1411 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में देखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगद्दी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगद्दी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगद्दी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा</p>	<p>Re-0032024</p> <p style="text-align: center;">8</p>

